

25/18

पकावली आज सुप्रीम कोर्ट - येल्डा में पेरा डूडी
पुकरा है लंबाचिल वाड फका का निस्तारण है
जुस है प्राथमिक फका अन्तर्गत धारा 212(2) RTI
का तब कोई औचित्य नहीं है। अतः प्राथमिक फका
अन्तर्गत धारा 212(2) RTI में स्वारीज प्रिया जात
है पकावली फॉर्मल शुगर होवर वावर है कर
है।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवादी (उपखण्ड)